1 श्री ओमप्रकाश चाण्डक (वादी की ओर से)
2 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही।

-:निर्णय:-

दिनांक:- 23.09.2015

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी जैरदावा खेत खसरा नंबर 533 तादादी 2.900 हैक्टेयर वाके ग्राम गुसांईसर तहसील बीकानेर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खाते में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि है, जिसमें वादी 2/3 हिस्से का रिकॉर्डेड सहखातेदार है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के अलावा आराजी जैर दावा के पूर्व सह–खातेदारान द्वारा अपना हक त्याग किया जा चुका है। सह खातेदारान के मध्य वर्षों पूर्व हुए आपसी भाई बंटवारा के अनुसार वादी को विक्रेतागण आराजी जैर दावा के पूर्वी हिस्से पर मौके पर अर्से दराज से भौतिक रूप से काबिज चले आ रहे थे, मौके पर वादी के विकेतागण द्वारा अपने आपसी बंटवारा में हिस्से में आयी भूमि के चारों तरफ तारबंदी की हुई है। वादी को विक्रय के समय, विक्रेतागण द्वारा खसरा नंबर 533 के पूर्वी हिस्से की कब्जे शुदा उक्त भूमि का तारबंदी सहित कब्जा वादी को सुपूर्द किया गया। जह वादी अपने क्रय के समय से ही निरंतर मुतवातिर शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा अर्थात आराजी जैर दावा मौके पर भौतिक बंटवारा वर्षों पूर्व हो चुका है। सहखातेदार अलग–अलग अपने हिस्सों पर भौतिक रूप से तारबन्दी कर काबिज चले आ रहे हैं।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

...अधिकारी एवं राजस्व रिकॉर्ड में खाता तकसीम किया जाना ही बाकी है। वादी एम.वी.एग्रोटेक कम्पनी को अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तकनीकि कृषि करने हेतु ऋण लेने व सरकार कागजात के लिए आवश्यक होने के कारण अपनी खातेदारी कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से अलग खाता कायम करवाना आवश्यक है। इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार खाता विभाजन एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती करने के संबंध में निवेदन किया गया परन्तु प्रतिवादीगण प्रत्येक बार टालमटोल करते रहे तथा दिनांक 21.03.2025 को पुनः निवेदन किया तो उन्होंने ऐसा करने से इन्कार हो गये इस प्रकार यही तारीख बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर यही मोजा ग्राम गुसांईसर, बीकानेर के खेत खसरा नंबर 533 तादादी 2.900 हैक्टयर में राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज हक व हिस्से के अनुसार वादगत भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड अच्छी से अच्छी–बुरी से बुरी के रूप में कब्जे अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर राजस्व रकम भी अलग–अलग कायम की जावे एवं इसी अनुरूप दावा डिक्री सादर फरमाई जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तामील करवाए जाने बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में विरोधाभास की स्थिति नहीं होने पर तनकियात कायम नहीं की गयी। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया। प्रकरण में वादी के शपथ–पत्र व बहस सुनने उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2025 को वादी एवं प्रतिवादीगण के हक व हिस्से अनुसार खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गयी।

3. दिनांक 09.09.2025 को कार्यालय तहसीलदार राजस्व बीकानेर द्वारा वादगत भूमि के खाता विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

4. वादी को तहसीलदार राजस्व बीकानेर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित प्रस्ताव, नक्शा पर सुना गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। वादपत्र न्यायालय में दिनांक 09.04.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह कथन किया गया कि ग्राम गुसांईसर, बीकानेर के खसरा नंबर 533 तादादी 2.900 हैक्टयर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 (आशाराम, बिशनलाल, मुन्नीराम शर्मा) के अलावा आराजी जैर दावे के पूर्व सहखातेदारान द्वारा अपना हक त्याग किया जा चुका है जिसका नामांतरण दिनांक 09.04.2025 वादपत्र दायर करने दौरान प्रक्रियाधीन रहा है। उक्त बिंदु पर अभिभाषक वादी द्वारा वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत की गयी जिसका अध्ययन किया गया। वादगत भूमि पर पूर्व सहखातेदारान द्वारा त्याग किये गए हक बाबत नामांतरण संख्या 2407 से दिनांक

सहायक कलक्टर
बीकानेर

भूमि पर ... उनके दर्ज हक व हिस्सा का खाता विभाजन ...533 तादादी 2.9000 हैक्टेयर ...वाद वादी
निम्नानुसार किए जाने के आदेश दिए जाते हैं–

| क्र. सं | नाम खातेदार | ख.न. | रकबा (हैक्टयर में) | किस्म | रंग प्रस्तावित नक्शानुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 1 एम.वी. एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड (रजि.) ख.न. 1017/240, 1021/240, एन.एच 15, औद्योगिक ग्रोथ सेंटर के सामने, रोड़ नं. 3, खारा, ग्राम खारा तहसील बीकानेर जरिये डायरेक्टर विपिन कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी– बी, 124, करणी नगर, लालगढ (बीकानेर) तहसील व जिला बीकानेर। | 533 मीन | 1.9333 | बरानी–2 | लाल |
| | कुल | 01 | 1.9333 | | |
| 02. | 1. आशाराम पुत्र देवाराम हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार<br>2. बिशनलाल शर्मा पुत्र देवाराम हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार<br>3. मुन्नीराम शर्मा पुत्र देवाराम हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार | 533 मीन | 0.9667 | बारानी–2 | हरा |
| | कुल | 01 | 0.9667 | | |
| | | | | | |

तदनुसार संलग्न प्रस्तावित अक्शानुसार खाता विभाजन की अंतिम डिग्री दी जानी मंजूर की जाती है। तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को निदेर्शित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

लगान कायम किया जाकर वादी का अलग खाता कायम कर पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल–दरामद किया जावे। संलग्न नक्शा, निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय व डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/1/25 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया व इस न्यायालय की मोहर व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बा तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

सहायक कलक्टर, बीकानेर शहर